

फर्द अहकाम
(निशम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भवरासम पुत्र अखाराम जाति नाई, निवारी शोभासर (काश्मीर) तहसील शिव, जिला बाङमेर चमैरा (03)		हडमानराम पुत्र चुनाराम जाति नाई, निवारी शोभासर (काश्मीर) तहसील शिव, जिला बाङमेर चमैरा (28)

किरम मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53,188)

मुकदमा नम्बर 65 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.05.2023	प्राथी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सिहाग ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 14.7.23 को पेश हो।	26.05.2023
14.7.23	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 24.7.23 को पेश हो।	26.05.2023
24.7.23	बगर अधिवक्ता संघ, बाङमेर के रेफरेंस पर होने से इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 31.07.23 को पेश हो।	
31.7.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिप्लोमरी रिफरेंस पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर दिनांक 21.8.23 को पेश हो।	

रजिस्टर्ड जज
सहायक कलक्टर 2434-34
शिव (बाङमेर) 2434-2461
26.05.2023

सहायक कलक्टर
शिव (बाङमेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाङमेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाङमेर)



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जायें
हुकम
में जारी है

जायें


07.07.24

नदी नकील द्वारा पत्रावली तय्यार कर
जलिये विद्दे खारिय करे का निवेदन
करे पर पत्रावली पेश हुई।

गार्शन पत्र पर बहाल हुती।

चूंकि नदी नकील द्वारा इस्त वाद में
पलकागार के मध्य आपसी लक्ष्मति
से विनापन हो जने ले उ इस्त वाद
जलिये विद्दे खारिय करे का निवेदन
किया जाला हो इतः वाद में पलकागार
के मध्य लक्ष्मति विनापन हो जने
तय्यार छोडे की कार्यवाही नदी-खारणे
पर वाद हसी स्टेज पर जलिये
विद्दे खारिय किला जाता हो।

पत्रावली टाकिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
शिव (वाडमेर)